इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021—अग्रहायण 5, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ 3-85-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 उपधारा (2) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जावेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, उपनियम (14) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(15) नियम-14 के अन्तर्गत विकास योजना अनुमोदित होने पर, यदि नियम 15 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदित भूमि उपांतरण संबंधी लंबित आवेदनों का समाधान हो जाता है तो ऐसे आवेदन को नस्तीबद्ध किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए नियम-15 के अधीन कोई उद्गृहण प्रभारित नहीं किया जाएगा. ''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2021

क्र. एफ 03-85-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ 03-85-2021-अठारह-5, दिनांक 17 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the17th November 2021

NOTICE

No. F. 3-85-2021-XVIII-5.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rule 15, after sub-rule (14), the following sub-rule shall be inserted namely:—

"(15) In the event of approval of the Development Plan under Rule 14, if the pending applications for land use change under sub-rule (1) is resolved, such application shall be filed and for this purpose no levy shall be charged under Rule 15.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

अंतिम नियम

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ 3-75-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पिठत धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) दिनांक 15 अक्टूबर 2021 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, उपनियम (30) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(30) ''तल क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर)'' से अभिप्रेत है, किसी भवन में समस्त तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र का प्रश्नात भूमि के कुल भूखण्ड क्षेत्र से अनुपात. निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत होगा, लिफ्ट वेल्स, सर्विस डक्ट, लिफ्ट हेतु मशीन कक्ष, जल टंकियां, एस्केलेटर, लिफ्ट लाबी, अग्नि निकास, रैम्प, रिफ्यूज स्यूट्स तथा सर्विस डक्ट, बीच का तल (मेज नाइन फ़्लोर), बालकनी (1.20 मीटर चौड़ाई तक), वाहन क्षेत्र (पार्किंग एरिया), वाहन तल (पार्किंग फ्लोर्स), यन्त्रचालित वाहन क्षेत्र, पोर्च, सर्विस फ्लोर्स, पोडियम, निजी गैरेज (25 वर्गमीटर से अनिधक), कर्मचारी आवास (25 वर्ग मीटर से अनिधक), नियम 76 के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए तल घर, गिलयारे, आर्केड, लाबी, मम्टी, सीढ़ियां, प्रवेश लाबी या फोयर्स, एट्रीयम जोकि वाणिज्यिक क्रियाकलाप के लिए उपयोग नहीं किया जाता हो, पम्प कक्ष तथा दो वाचमैन हट, प्रत्येक 6 वर्ग मीटर से अनिधक, को छोड़कर, समस्त तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र, परन्तु नियम 58 के अधीन विहित सीमाओं से अधिक आच्छादित बाहर निकले हुए भाग इसमें सिम्मिलत होंगे:

परन्तु नियम 53 (1) में यथा उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आवासीय उपयोग वाले परिसर में एफ ए आर से छूट प्राप्त क्षेत्र का योग किसी भी दशा में अनुज्ञेय एफ ए आर के 25% से अधिक नहीं होगा एवं नियम 2(35) में यथा उल्लिखित समूह आवासीय उपयोग में एफ ए आर से छूट प्राप्त क्षेत्र का योग किसी भी दशा में अनुज्ञेय एफ ए आर के 35% से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि वाणिज्यिक उपयोग वाले परिसर में भूतल पर अवस्थित फोयर (फोयर्स) या प्रवेश लॉबी (लॉबीज) का क्षेत्र, जो अनुज्ञेय भूतल आवृत्त क्षेत्र के 20% से अधिक है, उसकी गणना एफ ए आर में की जाएगी :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त सीमाएं जल टंकी (टंकियों), रैम्प (रैम्पो), मम्टी, सीढ़ी (सीढ़ियों) एवं पार्किंग क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए उपबंधित कुल निर्मित क्षेत्र को लागू नहीं होंगी.

टीप—यदि भूतल या संदर्भ स्तर के नीचे निर्मित आकृति विद्यमान स्थलाकृति के कारण आवास योग्य स्थान के रूप में उपयोग की जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को आवास योग्य क्षेत्र के रूप में अनुज्ञा दी जा सकेगी तथा उसे तल क्षेत्र अनुपात में संगणित किया जाएगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्र. एफ 03-75-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-75-2021-अठारह-5, दिनांक 18 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th November 2021

NOTICE

No. F. 3-75-2021-XVIII-5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinray) dated 15th October 2021 as required by sub-section (1) of Section 85 of the saied Act.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, for sub-rule (30), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(30) "Floor Area Ratio (FAR)" means the ratio of total built up area in a building on all floors to the total plot area of the land in question. The built up area shall mean the total built up area on all floors excluding the area under lift wells, service ducts machine room for lifts, water tanks, escalator, lift lobby, fire escapes, ramps, refuse chutes and service ducts, mezzanine floor, balcony (upto a width of 1.20 mtrs.), parking areas, parking floors, mechanized parking areas, porch, service floors, podiums, private garage (not exceeding 25 sq. mtrs.), servant quarter (not exceeding 25 sq. mtrs.), basement subject to the provision of rule 76, corridors, arcades, lobbies, mumptee, staircases, entrance lobbies or foyers, atrium which is not used for commercial activity, pump room and two watchmen hut each not exceeding 6 sq. meters, but shall include covered projections exceeding the limits prescribed under rule 58:

Provided that in residential use premises for individuals as mentioned in rule 53(1), the sum of the area exculuded from FAR shall in no case exceed 25% of the permissible FAR and in group housing residential use as mentioned in rule 2(35), the sum of the area excluded from FAR shall in no case exceed 35% of the permissible FAR:

Provided further that in commercial use premises, the area of foyer(s) or entrance lobby(s) located on the ground floor which exceeds 20% of permissible ground coverage shall be counted in the FAR:

Provided also that the above limits shall not apply to the total built up area provided for water tank(s), ramp(s), mumptee, staircase(s) and parking area(s).

Note: If the built form below the ground or reference level is used as habitable accommodation because of the existing topography such area may be permitted as habitable area and shall be counted in the Floor Area Ratio.''.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.